राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग
(विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ)

क्रमांक एफ89(73)/LM–5/अभि/2022 जयपुर, दिनांक 23.08.2022

आदेश

विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण संख्या 73/2022 दिनांक 23.07.2021 मैसर्स एन.के. शर्मा रिपेयरिंग वर्क्स, जयपुर में प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 29.07.2021 को नोटिस जारी किया गया एवं प्रकरण निस्तारण हेतु संबंधित क्षेत्र के निरीक्षक को प्रतिलिपि जारी की गयी थी एवं प्राप्त जवाब संतोषजनक नही पाया गया।

दर्ज प्रकरण में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं विश्लेषण किये जाने पर प्रथमतः विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के अंतर्गत बनाये गये राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमों 2011 के नियम 11 के तहत जारी की गई अनुज्ञप्ति की शर्तो का उल्लंघन पाया गया है। अतः मैसर्स एन.के. शर्मा रिपेयरिंग वर्क्स जयपुर को जारी की गई अनुज्ञप्ति संख्या REPAIRER/2019–20/618 के निरस्तीकरण कार्यवाही को विचाराधीन रखते हुए अनुज्ञप्ति को 3 मास की कालावधि के लिए निलम्बित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

23.8.22

(कालूराम)
नियंत्रक

क्रमांक एफ89(73)/LM–5/अभि/2022 जयपुर दिनांक 23.08.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सहायक, नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ, उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमति आस्था मिश्रा, सहायक प्रोग्रामर को मेट्रोलॉजी एप्लीकेशन पर आवश्यक कार्यवाही करने के क्रम में प्रेषित है।
3. मैसर्स एन.के. शर्मा, रिपेयरिंग वर्क्स, 284, मानसरोवर कॉलोनी, झोटवाड़ा, जयपुर।
4. शाखा प्रभारी श्री ज्ञान सिंह को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि पत्रावली पर दर्ज प्रकरण को नियमानुसार नम्बर पर लेते हुए निस्तारित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
5. रक्षित पत्रावली।

सहायक नियंत्रक

Scanned with CamScanner